राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.15(110)नविवि/विविध/2023 **जयपुर, दिनांक :**

आयुक्त/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
महाप्रबन्धक, जयपुर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, जयपुर।

विषयः— विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत न किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत यह देखने में आया है कि विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में जिनमें मुख्य सचिव महोदय व प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग पक्षकार होते हैं, संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा समयावधि में जवाब प्रस्तुत न किये जाने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश जारी कर दिये जाते है।

ऐसी स्थिति संबंधित प्रकरण में नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क में न रहने के कारण व नियत तारीख पेशी प्रभारी अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होते है, जो कि राजकीय कार्यों के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है। अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता द्वारा भी प्रभारी अधिकारी द्वारा सम्पर्क नही करने बाबत् अवगत कराया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है की प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रभावी प्रतिरक्षण में राजकीय कर्तव्यों की अवहेलना की जा रही है।

अतः आप अपने विभागों के प्रकरणों जिनमें मुख्य सचिव महोदय व प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग पक्षकार होते हैं, में नियुक्त समस्त प्रभारी अधिकारियों को प्रभावी प्रतिरक्षण हेतु तत्काल निर्देशित करें। बावजूद इसके यदि किसी भी प्रकरण में मुख्य सचिव महोदय/अधोहस्ताक्षरकर्ता के व्यक्तिशः उपस्थिति उपरोक्त पैरा 2 में वर्णित कारणों से होती है तो, ऐसे प्रभारी अधिकारी पर राजस्थान सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु स्पष्टीकरण प्राप्त कर विभागाध्यक्ष को अवगत करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Debasish Prusty
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2026.03.17 16:59:48 IST
Reason: Approved

(डॉ.देबाशीष पृष्टी)
प्रमुख शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 20865001

eSign 1.0